

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला—सूरजपुर (छ.ग.)

—:: आदेश ::—

क्रमांक /२३८० / एस.डब्ल्यू. / 2021

सूरजपुर, दिनांक १४ जून 2021

जिले में कोविड-19 धनात्मक प्रकरणों की संख्या में गिरावट को देखते हुए कार्यालयीन आदेश क्र./2904/एस.डब्ल्यू./2021, दिनांक 10.06.2021 के माध्यम से दुकानों/गतिविधियों को प्रतिबंध से छूट प्रदान करते हुए संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त आदेश की निम्न कण्डिकाओं में आंशिक संशोधन करते हुए जिला—सूरजपुर अंतर्गत निमानुसार आदेशित किया जाता है :—

1. उक्त आदेश की कण्डिका क्रमांक 1(1) अंतर्गत स्थिरमिंग पुल, जिम, सिनेमा हॉल/थियेटर को बंद रखे जाने का आदेश दिया गया है। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए जिम को प्रतिबंध से मुक्त करते हुए संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है।
2. आदेश की कण्डिका क्रमांक 1(4) में संशोधन करते हुए सैलून, ब्यूटी पार्लर के संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है।
3. आदेश की कण्डिका क्रमांक 3 में आंशिक संशोधन करते हुए सभी प्रकार के स्थाई एवं अस्थाई दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला—गुमटी, फल एवं सब्जी मंडी/बाजार, अनाज मंडी, शो—रूम, मदिरा दुकानें प्रातः 08:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक (रविवार को छोड़कर) खोलने की अनुमति प्रदान की जाती है।
4. उक्त आदेश की शेष कण्डिकाएँ यथावत् रहेंगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला—सूरजपुर (छ.ग.)

पृ.क्र./२३८०/एस.डब्ल्यू./2021

सूरजपुर, दिनांक १४ जून 2021

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा रेंज, अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस अधीक्षक, सूरजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सूरजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला—सूरजपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सूरजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिला—सूरजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. सर्व तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी/इन्सीडेन्ट कमाण्डर सूरजपुर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

11. खाद्य अधिकारी, जिला—सूरजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला—सूरजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. सर्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत, जिला—सूरजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. सहायक संचालक, जनसंपर्क, सूरजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला—सूरजपुर (छ.ग.)